88

न्यायालय श्रीमान् बोर्ड आफ रेवेन्यू ग्वालियर म०प्र०
लिंक कोर्ट रीवा म०प्र०

R 5252-II/16

मोंहम्मद अब्दुल कादिर पिता मोंहम्मद बसीर, निवासी ग्राम कोटहा, तहसील गोपद बनास, जिला–सीधी म0प्र0 ....निगरानींकर्ता

बनाम

1. चन्द्रभान बाघवानीं पिता किसनचन्द्र बाघवानीं, साकिन कोटहा, तहसील गोपद बनास, जिला–सीधी म0प्र0

2. म0प्र0 शासन ....गैरनिगरानींकर्ता

निगरानीं विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील गोपद बनास, जिला–सीधी के राजस्व प्रकरण कमांक 08/अ–05/2009–10, आदेश दिनांक 03.11.2009

अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

6-6-16

7-6-16

मान्यवर,

निगरानीं के निम्न आधार हैं:–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि, प्रकिया एवं न्यायदान सिद्यान्तों के विपरीत होनें के कारण मूलतः निरस्त होनें योग्य है।

2. यह कि आराजी स्थित ग्राम सीधी कला तहसील गोपद बनास की भूमि खसरा कमांक 186 रकवा 0.263 है0, 187 रकवा 0.344 है0, 188/1 रकवा 0.321 है0 एवं 267 रकवा0.299 है0 किता 4 योग रकवा 1.227 है0 के पट्टेदार भूमिस्वामीं राजस्व अभिलेखों में निगरानींकर्ता सहित जगदीश प्रसाद, छोट, रविशंकर तीनों पिता शिवबोध राम ब्राम्हण, मुस0 पार्वती बेवा शिवबोध राम, श्रीमती देवकली पत्नीं शिवशंकर प्रसाद द्विवेदी, रामेंश्वर प्रसाद पिता गंगा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 5252–दो/2016 निगरानी जिला – सीधी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-8-17	यह निगरानी तहसीलदार गोपादबनास जिला सीधी दारा प्रकरण क्रमांक 8 अ–5/2009–10 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 3–11–2009 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी की प्रचलनशीलता पर एंव अवधि विधान की धारा–5 पर आवेदक के अभिभाभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने जा चुके हैं। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक क्रमांक–1 के आवेदन पर उसके स्वामित्व की ग्राम सीधी कला स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 186/2 ख एंव 187/2 का राजस्व निरीक्षक एंव हलका पटवारी ने मेढ़िया कास्तकारों को सूचना देते हुये सीमांकन किया है, जिस पर मेढ़िया कास्तकारों को सूचना की गई है । किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर तहसीलदार गोपादबनास जिला सीधी दारा प्रकरण क्रमांक 8 अ–5/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 3–11–2009 से बटांकन प्रस्ताव अनुसार तर्मीम प्रतिवेदन स्वीकार किया है जिसके विरूद्ध यह निगरानी है। आवेदक के अभिभाषक की आपत्ति है कि गलत सीमांकन करते गलत नक्शा ट्रेस के आधार पर अन्य पड़ौसी भूमिस्वामियों को प्रभावित किया गया है एंव गलत सीमांकन एंव बटांकन के आधार पर तर्मीम स्वीकार किया गया है। तहसीलदार गोपादबनास जिला सीधी ने आदेश दिनांक 3–11–2009 से उक्तांकित भूमि के रा.नि.	

व्दारा प्रस्तुत बटांकन प्रस्ताव के आधार पर तर्मीम स्वीकार किया है एंव तहसीलदार का बटांकन / तर्मीम स्वीकार करने वावत् दिया गया आदेश दिनांक 30-11-09 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 68 सहपठित 70 के अंतर्गत पारित है क्योंकि सीमांकन आदेश केवल खेत की चर्तुसीमाओं के परिमाप अनुसार संहिता की धारा 129 के अंतर्गत जारी किया जाता है। इस प्रकार तहसीलदार का उक्तादेश संहिता की धारा 68 सहपठित 70 के अंतर्गत होने से अपील योग्य है। आवेदक इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित समक्ष न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी प्रचलन-योग्य न होने से निरस्त की जाती है ।

सदस्य